

NIA और बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों का पुनः निर्धारण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में न्यायमूर्ति श्रीधरन के कई फैसलों के बाद जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में [NIA \(राष्ट्रीय जाँच एजेंसी\)](#) और [बंदी प्रत्यक्षीकरण](#) मामलों को श्रीनगर में एक नई पीठ को सौंप दिया गया।

मुख्य बटि

- रोस्टर [उच्च न्यायालय](#) की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये उसके [सदस्यों को कार्य सौंपने](#) की एक व्यवस्थिति योजना है।
 - [रोस्टर में परिवर्तन](#): एक आदेश द्वारा [NIA और बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों](#) के लिये मौजूदा रोस्टर को संशोधित किया गया तथा उसे न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की पीठ से न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल एवं न्यायमूर्ति मोहम्मद अकरम चौधरी की [नई विशेष खंडपीठ](#) में स्थानांतरित कर दिया गया।
- [स्थानांतरण की दुरलभता](#): किसी विशेष पीठ से मामलों को बीच में ही पूरी तरह से नई पीठ में स्थानांतरित करना एक दुरलभ घटना है।
- [न्यायमूर्ति श्रीधरन के महत्त्वपूर्ण नरिणय](#):
 - [सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 \(PSA\)](#) मामला: जुलाई 2024 में न्यायमूर्ति श्रीधरन ने नविवारक नरिोध मामले में अस्पष्ट और भ्रामक तर्क के लिये ज़िला मजिस्ट्रेट पर जुरमाना लगाया।
 - [कट्टरपंथी वचिारधारा](#): उन्होंने एक बंदी को "कट्टरपंथी" के रूप में लेबल करने को चुनौती दी और [अगस्त, 2023 के मामले](#) में इसके अर्थ को स्पष्ट किया।
 - [पुलसिकरमी ज़मानत मामला](#): हत्या के आरोपी पुलसिकरमी को वलिंबति सुनवाई के कारण [अनुच्छेद 21](#) के उल्लंघन का हवाला देते हुए ज़मानत प्रदान की गई।
 - [फहद शाह मामला](#): पत्रकार फहद शाह के खिलाफ [UAPA \(गैरकानूनी गतविधियाँ रोकथाम अधिनियम\)](#) के आरोपों पर सवाल उठाया गया, जिसमें हिसा भड़काने के अपर्याप्त सबूतों का उल्लेख किया गया।

बंदी प्रत्यक्षीकरण

- यह एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है 'शरीर को अपने पास रखना'। इसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति को आदेश जारी करता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति को हरिसत में लेकर उसके शव को उसके समक्ष प्रस्तुत करे। इसके बाद न्यायालय हरिसत के कारण और वैधता की जाँच करता है।
- यह [रटि](#) मनमाने ढंग से हरिसत में लिये जाने के वरिद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक कवच है।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका [सार्वजनिक प्राधिकारियों के साथ-साथ नजिी व्यक्तियों, दोनों के वरिद्ध](#) जारी की जा सकती है।
- दूसरी ओर, रटि तब जारी नहीं की जाती है जब:
 - हरिसत में रखना वैध है,
 - कार्यवाही किसी वधियाकि या न्यायालय की अवमानना के लिये है,
 - हरिसत एक सक्षम न्यायालय द्वारा की गई है और
 - हरिसत में लेना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।